संख्या-58/2024/267/77-6-24-6002(099)/1/2023

प्रेषक,

पीयूष वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. संयुक्त आयुक्त,
   उद्योग, बरेली मण्डल, बरेली।
2. संयुक्त आयुक्त,
   उद्योग, कानपुर मण्डल, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक** 16-10-**2024**

विषय:- उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में प्राविधानित धनराशि रूपये 650.00 करोड़ के सापेक्ष लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों को रू.91,56,024.00 (रूपया इक्यानवे लाख छप्पन हजार चौबीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त आयुक्त, उद्योग,बरेली मण्डल, बरेली के पत्र संख्या-2932/सं0आ0उ0/बरेली/एमएसएमई नीति 2017/2023-24, दिनांक 24.01.2024 एवं संयुक्त आयुक्त, उद्योग,कानपुर मण्डल, कानपुर के पत्र संख्या-1251(1)/सं0आ0उ0/का.मं./एमएसएमई नीति 2017/2023-24, दिनांक 29.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार लघु /मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों को अनुमन्य प्रोत्साहन धनराशि हेतु बजट स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है-

क्रमांक	**औद्योगिक इकाई का नाम**	**जनपद**	**प्रोत्साहन लाभ की श्रेणी**	**वित्तीय वर्ष**	**धनराशि (रूपये में)**
1	मैसर्स रेडीयल नेचुरल एरौमैटिक्स प्रा0लि0, ग्राम बुटला खंजना, उझानी, बदायू (मध्यम श्रेणी)	बदायूँ	नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति	2020-21 2021-22	रू. 91,16,519.00 (कुल जमा नेट एसजीएसटी का 60प्रतिशत)
2	मेसर्स राधे नमकीन प्रा0लि0	कानपुर नगर	पूंजीगत ब्याज उपादान	2022-23	रू. 39,505.00
				कुल	**रू. 91,56,024.00 (रूपया इक्यानवे लाख छप्पन हजार चौबीस मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एतदद्वारा उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में प्राविधानित धनराशि रूपये 650.00 करोड़ के सापेक्ष उपर्युक्तानुसार अंकित तालिका में लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों को प्रोत्साहन धनराशि के वितरण हेतु रू.91,56,024.00 (रूपया इक्यानवे लाख छप्पन हजार चौबीस मात्र) की धनराशि (क्रमशः रू.91,16,519.00 एवं रू.39,505.00) आपके निवर्तन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है, उसके बैंक खाते में सीधे आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।
2. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संयुक्त आयुक्त, उद्योग, बरेली मण्डल, बरेली, संयुक्त आयुक्त, उद्योग, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा तत्काल शासन के औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4 एवं समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगा।
3. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, बरेली मण्डल, बरेली, संयुक्त आयुक्त, उद्योग, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा प्रोत्साहन धनराशि वितरित किये जाने के पूर्व उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 एवं तद्क्रम में निर्गत एस0ओ0पी0 एवं नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में वर्णित प्राविधानों शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पात्र इकाइयों के संबंध में अपने स्तर से पात्रता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रस्तावित प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रक्रियाओं/विधिक औपचारिकताओं का पालन कर लिया गया है।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।
5. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
6. स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा संयुक्त आयुक्त, उद्योग, बरेली मण्डल, बरेली, संयुक्त आयुक्त, उद्योग, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा द्वारा रखा जाएगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
8. यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी,जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 एवं तद्क्रम में निर्गत एस0ओ0पी0 एवं नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9. स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन संयुक्त आयुक्त, उद्योग, बरेली मण्डल, बरेली, संयुक्त आयुक्त, उद्योग, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा किया जाएगा।

10. स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

11. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, बरेली मण्डल, बरेली, संयुक्त आयुक्त, उद्योग, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा द्वारा स्वीकृत धनराशि आहरित करने से पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।

12. लाभार्थी इकाई को देय धनराशि का 02 प्रतिशत प्रशासनिक प्रभार के रूप में कटौती कर अप्रेजल संस्था को दी जाएगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू.91,56,024.00 (रूपया इक्यानवे लाख छप्पन हजार चौबीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 2885608002000 नई औद्योगिक नीति **मानक मद** 42 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,
पीयूष वर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-58/2024/267(1)/77-6-24-6002(099)/1/2023 ,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रबंध निदेशक, पिकप।
4- निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर/बरेली।
6- नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10- नियोजन अनुभाग-1/4
11- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शैलेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in